भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1888
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक)

स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित करना

1888. श्री अबू ताहेर खान:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्री सुनील कुमार:
कुमारी गोड्डेति माधवी:
श्री श्याम सिंह यादव:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री एन. रेड्डप्प:
डॉ. चन्द्र सेन जादौन:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले, आंध्र प्रदेश और बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित स्मारकों अथवा स्थलों के जिला-वार नाम और संख्या क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त स्मारकों के लिए आबंटित और व्यय की गई धनराशि और उनसे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त स्थानों पर किसी अन्य स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार की वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की कोई योजना है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का संगम तट पर स्थित मुगलकालीन किले को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व/केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित नहीं किया गया।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): वर्तमान में, इन जिलों में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ड.): बिहार के पश्चिम चंपारन जिले में 7 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन स्मारकों का रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। उनका संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता, प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(च): संगम तट स्थित मुगल किला संरक्षित स्मारक नहीं है।

*****